

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2761

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मलिन बस्तियों में स्वच्छता कार्य

2761. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पिछली और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान मलिन बस्तियों में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वच्छता कार्य, शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ अन्य योजनाओं के लिए निधि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य, तिथि और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत किए गए उपायों का लक्ष्य स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण जनसंख्या को लाभ पहुंचाना है। एसबीएम-यू के अंतर्गत, स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां आबंटित और जारी की जाती हैं। सामुदायिक शौचालय (सीटी) और आईएचएचएल समाज के वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं जो इन सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी ओर, सार्वजनिक शौचालयों (पीटी) को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी आबादी और आम व्यक्तियों के लिए लक्षित किया जाता है। एसबीएम-यू के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत घर-घर जाकर अपशिष्ट का एकत्रण, स्रोत स्थान पर पृथक्करण और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना जैसे कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण मिशन अवधि के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं न कि वार्षिक आधार पर। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत निधि आबंटन और जारी की गई निधि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-क** में हैं।

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति सहित आईएचएचएल और सीटी/पीटी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में है। <https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress> वेबलैंक पर ठोस अपशिष्ट संयंत्रों का ब्यौरा उपलब्ध है।

अनुबंध-क

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2761 के उत्तर के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	मिशन आवंटन		एसबीएम (यू) के सभी घटकों के तहत जारी निधियाँ का विवरण					
		एसबीएम-यू (2014- 2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021- 2026)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (तक 05.12.24)
1	आंध्र प्रदेश	571.33	1413.30	57.50	0.00	67.00	231.69	0.00	0.00
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.52	8.60	0.95	0.00	0.06	0.00	1.89	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	36.28	129.00	0.00	5.92	9.84	0.00	22.58	0.00
4	असम	244.30	503.50	83.70	3.34	9.10	70.40	4.86	1.00
5	बिहार	556.68	1204.80	39.87	0.00	8.58	0.00	0.00	200.89
6	चंडीगढ़	28.02	45.20	18.79	0.00	22.64	0.50	11.83	0.00
7	छत्तीसगढ़	357.85	727.30	0.00	0.00	10.14	199.53	0.00	0.00
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	6.71	31.20	0.05	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	349.75	1192.60	3.11	0.00	193.82	36.55	235.31	5.00
10	गोवा	17.09	77.80	3.27	0.00	1.20	6.88	0.00	0.00
11	गुजरात	834.15	1918.90	0.00	25.31	70.15	0.00	183.76	68.92
12	हरियाणा	287.08	645.70	58.47	4.83	5.58	7.88	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	43.95	156.70	7.63	0.00	16.03	0.00	27.29	0.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	200.63	429.90	23.23	0.00	27.98	0.00	89.46	0.00
15	झारखंड	258.71	519.00	1.77	2.25	2.52	53.32	46.49	0.00
16	कर्नाटक	820.96	2245.30	0.00	0.00	216.23	77.05	232.41	0.00
17	केरल	219.99	875.10	0.96	0.00	5.64	49.69	0.00	0.00
18	लद्दाख	0.00	62.70	0.00		0.32	0.00	2.34	0.00
19	मध्य प्रदेश	920.04	2200.20	26.72	36.45	121.14	29.07	89.17	347.59
20	महाराष्ट्र	1677.80	3758.50	286.63	153.61	245.22	83.75	625.38	0.00
21	मणिपुर	83.10	96.20	8.50	17.93	1.62	15.42	2.86	0.00
22	मेघालय	24.12	67.30	3.36	0.00	0.60	0.00	16.19	0.00
23	मिजोरम	49.02	82.50	12.11	4.48	14.83	0.00	13.46	5.09
24	नागालैंड	53.49	158.88	9.89	6.27	2.34	0.00	37.83	0.00
25	ओडिशा	372.02	821.40	100.45	22.12	185.13	0.00	120.47	0.00
26	पुदुचेरी	28.94	83.21	0.58	5.79	0.50	22.24	0.00	0.00
27	पंजाब	364.02	1054.20	102.57	0.02	9.96	183.83	22.70	0.00
28	राजस्थान	705.46	1765.80	0.00	0.00	47.84	76.19	128.05	0.00
29	सिक्किम	11.52	19.40	0.93	0.00	4.50	0.00	3.61	0.00
30	तमिलनाडु	1200.50	3296.70	236.19	21.08	224.91	384.66	69.05	173.50
31	तेलंगाना	413.74	1067.30	0.00	129.64	62.07	349.64	0.00	0.00
32	त्रिपुरा	100.37	85.30	20.22	22.54	5.53	0.00	9.81	0.00
33	उत्तर प्रदेश	1740.98	4073.80	84.01	485.13	43.99	13.88	293.07	111.14
34	उत्तराखंड	112.00	343.40	20.58	22.23	71.86	0.00	0.00	0.00
35	पश्चिम बंगाल	911.34	1449.30	0.00	0.00	223.50	0.00	0.00	209.97

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2761 के उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	वैयक्तिक घरेलू शौचालय (संख्या)	सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	अपशिष्ट प्रसंस्करण का %
1	आंध्र प्रदेश	2,43,764	17,799	86.68%
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	336	609	100.00%
3	अरुणाचल प्रदेश	11,606	89	7.67%
4	असम	78,787	3,356	60.07%
5	बिहार	4,04,444	28,677	26.54%
6	चंडीगढ़	6,117	2,512	100.00%
7	छत्तीसगढ़	3,26,435	18,832	100.00%
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	2,378	615	79.87%
9	दिल्ली	776	28,256	82.56%
10	गोवा	3,801	1,270	99.99%
11	गुजरात	5,60,046	24,149	97.50%
12	हरियाणा	66,749	11,374	91.59%
13	हिमाचल प्रदेश	6,743	1,700	99.04%
14	जम्मू एवं कश्मीर	51,246	3,451	72.70%
15	झारखंड	2,18,700	9,643	42.73%
16	कर्नाटक	3,93,278	36,556	89.12%
17	केरल	37,207	2,872	99.97%
18	लद्दाख	434	194	0%
19	मध्य प्रदेश	5,79,642	29,867	99.61%
20	महाराष्ट्र	7,22,791	1,66,465	94.92%
21	मणिपुर	40,707	581	82.48%
22	मेघालय	1,604	152	44.42%
23	मिजोरम	13,484	1,324	100.00%
24	नागालैंड	21,471	238	35.50%
25	ओडिशा	1,65,196	12,211	76.91%
26	पुदुचेरी	5,189	836	87.46%
27	पंजाब	1,03,683	11,522	80.87%
28	राजस्थान	3,68,515	31,300	47.55%
29	सिक्किम	1,559	268	78.02%
30	तमिलनाडु	5,43,261	92,744	64.27%
31	तेलंगाना	1,57,165	15,465	97.72%
32	त्रिपुरा	23,393	1,089	98.57%
33	उत्तर प्रदेश	9,00,113	70,370	97.39%
34	उत्तराखंड	27,976	4,694	96.49%
35	पश्चिम बंगाल	2,82,542	5,746	9.98%